संख्या- 3/947/57-2014-7(3)/2014

प्रेषक,

श्री नवनीत सहगल,

प्रमुख सचिव,

उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

पर्यटन विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग लखनऊ दिनांक: 24 दिसम्बर, 2014

विषय: श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा से होकर लौटने वाले उ0 प्र0 राज्य के मूल निवासियों को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए धन आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन की विज्ञप्ति/ प्रकीर्ण संख्या-974/57-2013-3(36)/2011 दिनांक:24-10-2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2014-2015 में श्री कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा से होकर लौटने वाले उत्तर प्रदेश राज्य के कुल 43 मूल निवासियों को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु कुल रू0 21,50,000.00 (कुल रूपये इक्कीस लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के लेखाशीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवायें-101-धर्मार्थ प्रयोजनों के लिये दान-04-कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाला तीर्थ यात्रियों का अनुदान-20-सहायक अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के मद के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त अनुदान स्वीकृत किये जाने से पूर्व शासन की विज्ञप्ति संख्या-94/57-2013-3(36)/2011, दिनांक: 19 फरवरी, 2013 तथा विज्ञप्ति/प्रकीर्ण संख्या-974/57-2013-3(36)/2011 दिनांक: 24-10-2013 में उल्लिखित निर्देशों/शर्तो का अनुपालन कडाई से किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग से प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

नवनीत सहगल

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 3/947 (1)/57-2014-7(3)/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद, उ0 प्र0।

2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 उ0 प्र0 शासन।

3- सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ0 प्र0 शासन।

4- विभागीय आदेश पुस्तिका।

5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालया

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

बराती लाल

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in